

अनुदान संख्या 63 - विधि और न्याय
GRANT No. 63-LAW AND JUSTICE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
मूल	Original	1361,70,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			27,60,79
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	1,02,00	52,90	-49,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			45,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice			
मू.	O.	2368.00		
पू.	S.	2.00	2308.50	1773.03
पु.	R.	-61.50		-535.47
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections		115000.00	114980.04
				-19.96
मुख्य शीर्ष "2020" आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure			
मू.	O.	2513.00		
पु.	R.	-150.40	2362.60	2095.01
				-267.59

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	1400.00		
पु.	R.	-1100.00	300.00	-300.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-Aid to State Governments			
मू.	O.	11300.00		
पु.	R.	-889.50	10410.50	10417.34 +6.84
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-Aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	600.00		
पु.	R.	-575.00	25.00	-25.00

(I) 3062.50 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3061.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014"-

(क) "अन्य व्यय - कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के चार महानगरों के न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और उन्हें नेटवर्क से जोड़न" - 500.00 लाख रु. महानगरों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.3062.50 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these heads Rs.3061.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" -

(a) "Other Expenditure - Computerisation and networking of courts in four metropolitan cities at Kolkota, Delhi, Mumbai and Chennai" - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of demand from the Metropolitan Cities.

- (ख) “न्यायिक आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) - न्यायपालिकाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान’- 300.00 लाख रु. राज्यों से कम मांग प्राप्त होने और ऐसी अनुदानें जारी करने की नीति की समीक्षा किए जाने के कारण थे।
- (ख) मुख्य शीर्ष “2020” - “निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय कर अधिकरण’- 261.00 लाख रु. अधिकरण के अस्तित्व में न आने के कारण थे।
- (गा) मुख्य शीर्ष “2552” - “अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान’- 1400.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्ष को आंशिक निधियों का पुनर्विनिर्भोग किए जाने के कारण थे।
- (घा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीम के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान’- 600.00 लाख रु. ऐसी अनुदानें जारी करने की नीति की समीक्षा किए जाने की वजह से राज्यों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण थे।
- (II) मुख्य शीर्ष “2015” - “लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के एक साथ चुनव कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति’ के अंतर्गत 7154.26 लाख रु. की बचत (81838.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से निर्वाचन संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (III) मुख्य शीर्ष “2020” - “निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलिय अधिकरण’ के अंतर्गत 156.99 लाख रु. की बचत (2252.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए सृजित खंडपीठों के लिए रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीम के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं
- (b) “Judicial Commissioner (UT’s without legislature) – Grants for infrastructural facilities for judiciary” – Rs.300.00 lakhs– due to less demand by States and review of policy for release of such grants.
- (B) Major Head “2020” – “Direction and Administration – National Tax Tribunal” – Rs.261.00 lakhs - due to the Tribunal not coming into existence.
- (C) Major Head “2552” – “Other Expenditure– Lumpsum Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim” – Rs.1400.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to the functional head for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
- (D) Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice - Other Grants – Grants for Infrastructural facilities for Judiciary” - Rs.600.00 lakhs – due to less demand by the States owing to review of policy for release of such grants.
- (II) Under Major Head “2015” – “Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/ Union Territory Legislative Assemblies when held simultaneously – Re-imburement to State/Union Territory Governments” – saving of Rs.7154.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81838.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments for re-imburement of election related expenditure.
- (III) Under Major Head “2020” – “Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal” – saving of Rs.156.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2252.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts for newly created benches.
- (IV) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice - Other Grants – Grants for Infrastructural facilities for Judiciary” – saving of Rs.850.00 lakhs

के लिए अनुदान'- 850.00 लाख रु. की बचत (11200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऐसी अनुदानें जारी करने की नीति की समीक्षा किए जाने की वजह से राज्यों द्वारा कम मांग किए जाने और साथ ही उच्च न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए निधियां की आवश्यकताओं के केंद्र को बदल दिए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.95 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (158.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2005 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी"- 60.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 59.50 लाख रु. था।

(खा) "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण"- 98.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 95.54 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2015" - "निर्वाचक नमावली तैयार करन और मुद्रित करन - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं- 7203.26 लाख रु. का अधिक व्यय (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आम चुनाव में निर्वाचक नमावली तैयार कराने पर बढ़े हुए व्यय को देखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नानुसार हुईं:-

(I) 101.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 51.90 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 5190 प्रतिशत थी।

(against the sanctioned provision of Rs.11200.00 lakhs) was due to the less demand by the States owing to review of policy for release of such grants and also on account of shift in focus on requirement of funds for Computerisation of High Courts.

(V) Under one head saving of Rs.66.95 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.158.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2005 under Major Head "2014" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "National Judicial Academy" - Rs.60.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.59.50 lakhs.

(B) "National Legal Service Authority" - Rs.98.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.95.54 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2015" - "Preparation and Printing of Electoral Rolls - Re-imburement to State/Union Territory Governments" - excess of Rs.7203.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to receipt of more claims from State/UT Governments in view of increased expenditure on preparation of electoral rolls on account of General Election.

3. In the capital section of the grant, saving/excess occurred as under:-

(I) Provision of Rs.101.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) The above savings were offset by an excess of Rs.51.90 lakhs under one head constituting 5190 percent of the sanctioned provision.